



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082026-275604
CG-DL-E-20082026-275604

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4411]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2026/श्रावण 28, 1948

No. 4411]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2026

का.आ. 4591(अ) .— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1832 (अ.) तारीख 8 अप्रैल, 2026, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 10 अप्रैल, 2026, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पश्चिम बंगाल राज्य में एल पी जी परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हाल्दिया से पानागढ़ पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 16 अप्रैल, 2026 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ;

अनुसूची

जिला : पश्चिम मेदिनीपुर					राज्य : पश्चिम बंगाल			
क्रम संख्या	पोलिस स्टेशन	ब्लॉक	मौजा का नाम एवं जे.एल नंबर	नक्शा प्रकाशन प्रकार	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल		
						हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दाशपुर	दाशपुर-II	जोत घनश्याम-240	LRSM	6217	00	00	85
					5494	00	00	56
					4444	00	00	08
2	दाशपुर	दाशपुर-II	निश्चिन्तपुर-230	RSM	5305	00	00	20
3	दाशपुर	दाशपुर-II	आलिपुर-225	RSM	888	00	00	25
					889	00	01	15
					887	00	13	67
4	दाशपुर	दाशपुर-II	उदयचक-215	LRSM	1898	00	00	04
5	दाशपुर	दाशपुर-II	रामकृष्णपुर-190	RSM	3554	00	01	24
6	दाशपुर	दाशपुर-II	भगवतीपुर-211	LRSM	1963/3280	00	02	64
					1964/3281	00	00	83
					1941/3070	00	01	16
					1941/3276	00	02	65
7	दाशपुर	दाशपुर-II	खुदीचक-210	LRSM	562	00	00	02
					545	00	02	00
8	दाशपुर	दाशपुर-II	कैगेडिया-208	RSM	439	00	00	43
					438	00	00	27
9	दाशपुर	दाशपुर-II	कलागेछया-204	LRSM	1016	00	00	65
					1017	00	00	17

					1352	00	02	28
10	घाटाल	घाटाल	हरिसींगपुर-151	RSM	337	00	00	14
					937	00	00	10
					944	00	00	30
					940	00	01	80
					932	00	01	00
					1158	00	01	89
					1760	00	00	07
					1792	00	00	15
					1641	00	00	25
					1671	00	00	50
					1787	00	02	32
					1666	00	01	23
					1565	00	01	08
					330	00	00	36
				LRS	604/1792	00	00	75
					266/1640	00	02	17
					340/1760	00	00	57
					332/1663	00	03	77
					322/1622	00	00	64
					321/1675	00	00	99
11	घाटाल	घाटाल	कोननगर-147	RSM	1669	00	00	22
12	घाटाल	घाटाल	दौलतचक-26	RSM	1761	00	00	22
					2004	00	00	37
					2007	00	00	16
					2029	00	00	17
				LRS	2281/3352	00	00	85
					2348/2173	00	01	19
					2032/3118	00	01	20
13	घाटाल	घाटाल	मनसुखा-25	LRS	1621/6189	00	00	06
					1621/6187	00	00	29
					1878/6231	00	02	20

					1878/6232	00	01	02
14	घाटाल	घाटाल	बाघानाला-23	LRSM	1270	00	00	30
					1371	00	04	28
15	घाटाल	घाटाल	सऔयाइ-7	RSM	1325	00	00	16
16	घाटाल	घाटाल	देवानचक-6	LRSM	95/497	00	03	35

[फा. सं. आर-12030/2/2022-ओआर-1/ई-44834]

हरित कुमार शाक्य, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2026

S.O. 4591(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O.1832(E) dated the 8th April, 2026, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 10th April, 2026, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of LPG from Haldia to Panagarh Pipeline in the State of West Bengal by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public on the 16th April, 2026;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying this pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of this declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline;

SCHEDULE

District: Paschim Medinipur						State: West Bengal		
Sl.No.	Police Station	Block	Mouza & J.L No.	Map Publication Type	Plot No.	Area		
						Hect	Are	Sq. Mtr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Daspur	Daspur-II	Jot Ghanasyam-240	LRSM	6217	00	00	85
					5494	00	00	56
					4444	00	00	08
2	Daspur	Daspur-II	Nishchintapur-230	RSM	5305	00	00	20
3	Daspur	Daspur-II	Alipur-225	RSM	888	00	00	25
					889	00	01	15
					887	00	13	67
4	Daspur	Daspur-II	Uday Chak-215	LRSM	1898	00	00	04
5	Daspur	Daspur-II	Ramkrishnapur-190	RSM	3554	00	01	24
6	Daspur	Daspur-II	Bhagabatipur-211	LRSM	1963/3280	00	02	64
					1964/3281	00	00	83
					1941/3070	00	01	16
					1941/3276	00	02	65
7	Daspur	Daspur-II	Khudi Chak-210	LRSM	562	00	00	02
					545	00	02	00
8	Daspur	Daspur-II	Kaigerya-208	RSM	439	00	00	43
					438	00	00	27
9	Daspur	Daspur-II	Kalagachhya-204	LRSM	1016	00	00	65
					1017	00	00	17
					1352	00	02	28
10	Ghatal	Ghatal	Hari Singpur-151	RSM	337	00	00	14
					937	00	00	10
					944	00	00	30
					940	00	01	80
					932	00	01	00
					1158	00	01	89
					1760	00	00	07
					1792	00	00	15
					1641	00	00	25
					1671	00	00	50

					1787	00	02	32
					1666	00	01	23
					1565	00	01	08
					330	00	00	36
				LRS	604/1792	00	00	75
					266/1640	00	02	17
					340/1760	00	00	57
					332/1663	00	03	77
					322/1622	00	00	64
					321/1675	00	00	99
11	Ghatal	Ghatal	Konnagar-147	RSM	1669	00	00	22
12	Ghatal	Ghatal	Daulatchak-26	RSM	1761	00	00	22
					2004	00	00	37
					2007	00	00	16
					2029	00	00	17
				LRS	2281/3352	00	00	85
					2348/2173	00	01	19
					2032/3118	00	01	20
13	Ghatal	Ghatal	Mansukha-25	LRS	1621/6189	00	00	06
					1621/6187	00	00	29
					1878/6231	00	02	20
					1878/6232	00	01	02
14	Ghatal	Ghatal	Baghanala-23	LRS	1270	00	00	30
					1371	00	04	28
15	Ghatal	Ghatal	Saoyai-7	RSM	1325	00	00	16
16	Ghatal	Ghatal	Dewanchak-6	LRS	95/497	00	03	35

[F. No. R-12030/2/2022-OR-I/E-44834]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.